हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग

संख्याः एग्र–ए–बी(7)–2/2014(लूज)   तारीख शिमला–2,   29 अगस्त, 2024

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में निदेशक, कृषि, ग्रुप–ए के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, निदेशक, कृषि, ग्रुप–ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2	निरसन और व्यावृत्तियां ।	2	(1)अधिसूचना संख्या एग्र.ए–ए(3)–2/2014, तारीख 27 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, कृषि विभाग, निदेशक, कृषि, वर्ग–I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमो के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

(सी. पालरासू)
सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सख्याः यथोपरि।   तारीख शिमला–2   29.08.2024

1. प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. प्रधान सचिव (कर्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
3. अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–171002
4. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि–राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–171002 को उनके पत्र संख्या 1–6/98–PSC-Part दिनांक 27-02-2024
6. नियन्त्रक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

(जोगी राम अत्री)
अवर सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार

उपाबन्ध– "क"

हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में निदेशक, ग्रुप–ए, के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1 पद का नाम:	निदेशक, कृषि, (ग्रुप–ए)
2. पद (पदों) की संख्या:	01 (एक)
3. वर्गीकरण:	ग्रुप–ए
4. वेतनमान:	नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड : "हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान(टाईमस्केल) के साथ संलग्न पे–मैट्रिक्स का लेवल (स्तर) (31)"
5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद:	चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु:	लागू नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	(क) अनिवार्य अर्हता–(एं): लागू नहीं (ख) वांछनीय अर्हता–(एं): लागू नहीं
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं:	आयु: लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	सीधी भर्ती / प्रोन्नति : लागू नहीं।
10-भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा ना होने पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा / हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के संवर्ग में से सैकेण्डमैंट द्वारा।
11.प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट / स्थानान्तरण किया जाएगा:	अतिरिक्त निदेशको, कृषि में से प्रोन्नति द्वारा जिनका एक वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके एक वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर अतिरिक्त निदेशक, कृषि में से प्रोन्नति द्वारा जिसका अतिरिक्त निदेशक, कृषि और संयुक्त निदेशक, कृषि के रूप में संयुक्त दो वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दो वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अतिरिक्त निदेशक, कृषि के रुप में छह मास का अनिवार्य सेवाकाल भी सम्मिलित होगा; ऐसा ना होने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा / हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के संवर्ग में से सैकण्डमैंट आधार पर। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगतार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपाबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा /नियुक्त के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपाबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः–अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुआ था और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12.यदि विभागीय समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन: लागू नहीं।

16. आरक्षण: सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा: सेवा में प्रत्येक सदस्यों को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति: जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।